



GANPATI GREENS

BOOKING FORM

AFFORDABLE HOUSING AT UDAIPUR

www.ganpatihousing.com

Form Price: ₹200

लोकेशन मैप



फ्लेट्स आवंटन एक नजर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुसार

विवरण	EWS	LIG
नारायण सेवा संस्थान के पास, राजस्व ग्राम हाथीधरा लियो का गुड़ा, त. बड़गाव, उदयपुर पर निर्मित होने वाले फ्लेट्स की संख्या	108	234
अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	510	690
फ्लेट का अनुमानित मूल्य (रू. में)	9,85,000/-	14,85,000/-

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

श्री गणपति अफोर्डेबल हॉम्स एल.एल.पी.

(आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के अन्तर्गत फ्लैट खरीदने पर लाभ:

1. फ्लैट खरीदने के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी को बैंक से फाईनेन्स की सुविधा उपलब्ध है ।
2. उक्त योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 के अन्तर्गत ब्याज सब्सिडी (6,00,000/-रूपये तक के लोन पर ब्याज में 6.5 प्रतिशत सब्सिडी) आपके लोन खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक या अन्य अधिकृत संस्था द्वारा सीधे जमा की जायेगी ।
3. उक्त योजना के फ्लैट खरीदने से आपके धन, समय व श्रम की बचत होगी । आपको निर्माण के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी ।
4. विकासकर्ता द्वारा निर्मित फ्लैट्स का डिजाईन अनुभवी वास्तुकारों द्वारा बनाया गया है, तथा निर्माण अनुभवी अभियन्ताओं की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ।
5. परियोजना अच्छी लोकेशन में होने के बावजूद इसमें सस्ते आवास उपलब्ध कराये जाएंगे ।
6. स्टाम्प ड्युटी की न्यूनतम राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है ।
7. यदि भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई कर या उपकर लगाया जाता है तो उसका भुगतान सफल आवेदनकर्ता या फ्लैट के आवंटी द्वारा ही किया जायेगा ।
8. आवेदकों द्वारा फ्लैट से सम्बन्धित सभी प्रकार के भुगतान जरिये डीडी/बैंकर्स चैक “ श्री गणपति अफोर्डेबल हॉम्स एल.एल.पी. ” के नाम से जमा किये जायेगे ।
9. फार्म मिलने व जमा कराने का स्थान :-

ऑफिस :

Shree Ganpati Affordable Homes LLP

Mktg. Office : 242, Road No. 17, Ashok Nagar, Near Vigyan Samiti
Udaipur (Raj.) 313001

Finance Available From Leading Banks

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदको की पात्रता एवं शर्त :-

1. आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।
2. इस योजना के अन्तर्गत आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदन के समय मूल निवास का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा या मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा । यदि राजस्थान निवासी के उचित आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य प्राप्त आवेदनों में वो भारतीय नागरिक भी योग्य हो सकेंगे, जो कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से उस शहर अथवा कस्बे में निवास कर रहा हो, जहां के लिये आवेदन किया है एवं आवेदनकर्ता को उसके लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । राजस्थान निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।
3. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार लाभार्थी की वार्षिक आय निम्न इस प्रकार से हो :-
E.W.S.(Economically Weaker Section) upto 3,00,000/-
L.I.G.(Lower Income Group) 3,00,001/- to 6,00,000/-
4. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिये आय की संगणना वित्तीय वर्ष 2017-2018 की प्रमाणित वार्षिक सकल आय पर निर्भर होगी । आवेदन की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित किया जायेगा । कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी :-
अ. स्वयं के लिये -
 1. वेतन
 2. विशेष वेतन
 3. महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता
 4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
 5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
 6. विनियोग से ब्याज
 7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो ।
ब. आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार
स. आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आवेदक के पास लीज होल्ड या फ्री होल्ड स्वयं के, पति/पत्नी के और किसी आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम शहरी क्षेत्र में मकान या प्लॉट न हो जिसका शपथ पत्र आवंटन के साथ देना होगा ।
6. वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिये पात्रता एवं आय वर्ग नीचे तालिका में दर्शायी गई है ।
7. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । गैर वेतन भोगी (स्व-रोजगार) आवेदको को तहसीलदार / म्युनिसिपल आफिसर / एस.डी.ओ. अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

क्र.सं.	आय वर्ग	सकल वार्षिक आय रूपये में	आवेदन के समय जमा करवाये जाने वाली आवेदन/पंजीकरण राशि	फ्लैट निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप)	फ्लैट निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट कारपेट एरिया)
1.	E.W.S	3,00,000 तक	41,000	510	290
2.	L.I.G.	3,00,001 से 6,00,000 तक	51,000	690	398

- 8 शारीरिक रूप से दिव्यांग आवेदकों को एवं वरिष्ठ नागरिक आवेदक को भूतल एवं नीचे तल पर आवास में प्राथमिकता दी जायेगी ।
- 9 इस योजना के अन्तर्गत पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा ।
10. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान का कब्जा प्राप्त होने के एक साल के भीतर आपको रहने आना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आवंटित कर दिया जायेगा ।
11. विकासकर्ता द्वारा एक शहर में एक ही समय विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आयेगा तो आवंटन स्वयं/स्वतः निरस्त योग्य रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा ।
12. प्रस्तावित योजना में किसी संस्थान/कम्पनी/एल.एल.पी. के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
13. आवेदको को यदि समूह में (Bulk Booking) आवासों की मांग है, तो आवासों की उपलब्धता के अनुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा ।
14. आवेदन के पंजीकरण पश्चात् EWS/LIG फ्लैट की कुल तय कीमत में से स्वीकृत ऋण राशि के पश्चात् बकाया शेष राशि आवेदक को लाटरी में चयनित होते ही 30 दिन के भीतर जरिये बैंक/डी.डी. जमा करवानी अनिवार्य होगी उक्त राशि जमा करवाने में असफल आवेदक का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा व उसकी जमा राशि में से 50 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात बकाया राशि का बैंक/डी.डी. लौटा दिया जायेगा ।
15. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे किसी अन्य विकासकर्ता द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरियता के आधार पर आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी । इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरियता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही उसे कोई आवास आवंटित किया गया है । आवेदक को आवासीय ईकाईयों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा एवं सफल आवेदक की लाटरी में आवासीय ईकाई का आवंटन का क्रम टावर के क्रमानुसार किया जायेगा । अर्थात् एक टावर की सभी ईकाईयों आवंटित होने के पश्चात ही दूसरे टावर में ईकाईयों का आवंटन किया जायेगा ।
16. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पायी जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताये व नोटिस जारी किए निरस्त कर दी जायेगी तथा आवेदक की जमा राशि में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी ।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

17. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस), अहाते की दिवार, कॉरिडोर, बगीचे, पार्किंग , सामुदायिक भवन, पानी, बिजली व सीवरेज एवं इनकी लाईने, खुले स्थान , जेनरेटर, ट्रांसफर्मर, विद्युत उपकरण, मोटर बोरींग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक , इत्यादि समस्त कॉमन सुख सुविधाएँ के प्रयोग तथा रख रखाव व रंग रोगन के लिये प्रत्येक आवंटी/आवंटियों को एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसायटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा । इस बाबत आवंटन के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिये सोसायटी द्वारा निर्धारित राशि 10,000/- (EWS) एवं 15,000/- (LIG) जो की पंजीयन से पूर्व जमा करवानी होगी जो कि सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी । भविष्य में सोसायटी द्वारा रख रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जायेगी । रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा । इस आशय का शपथ पत्र देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जायेगा सामान्य क्षेत्र तथा गार्डन, प्लेएरिया, सामुहिक भवन आदि सभी आवासीय ईकाईयों का कॉमन सुविधा क्षेत्र रहेगा जिसका निर्माण विकासकर्ता द्वारा सभी ईकाईयों के विक्रय होने की अव्यवस्था में निर्धारित कालावधि में पूर्ण किया जायेगा ।
18. आवेदकों की वरियता एवं आवंटन सूची विकासकर्ता द्वारा जारी की जायेगी ।
19. आवंटित आवास का कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिये मुद्रांक शुल्क जो भी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा ।
20. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से विकासकर्ता द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी । इस अवधि का विकासकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।
21. **रिफण्ड:** इस योजना के कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाटरी द्वारा वरियता निर्धारित कर दी जायेगी । लाटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा ।
1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरियता लाटरी के आयोजन के 15 दिन पहले से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस पंजीकरण राशि में से कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।
 2. यदि आवेदक पूर्व ग्रहण राशि का मांग पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 50 प्रतिशत कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।
 3. असफल आवेदन की राशि रेखांकित (अकाउंट पेयी) चैक द्वारा बिना ब्याज के लाटरी के 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के द्वारा भेज दी जायेगी ।
22. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से फार्म जारी करने की तिथि से चार माह में मूर्त रूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।
23. आवास आवंटन लाटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्र के माध्यम से की जावेगी । इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि देय किये जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरियता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा ।

24. आवेदक को लाटरी द्वारा आवास आवंटित किए जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। उक्त मांग राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी, राशि जमा नहीं कराने पर आवास स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के आवेदनकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा /कोरियर के जरिये रेखांकित चेक के द्वारा भेज दी जायेगी।
25. इस योजना में आवंटी को सम्पत्ति क्रय करने पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था को देय समस्त कर (आवास सम्पत्ति कर, वस्तु एवं सेवाकर अन्य कोई कर) का भुगतान करना होगा, इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों को पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करना होगा, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क वहन करने होंगे।
26. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी विकासकर्ता ऐसे आवंटन को रद्द करने अथवा आवास का कब्जा वापस लेने के लिये स्वतंत्र होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
27. आवंटित आवासीय ईकाइयों को किसी नुकसान के होने या वस्तुओं के चोरी हो जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :
1. विद्युत फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम रंग-रोगन यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
28. विकासकर्ता अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विकासकर्ता योजना में प्रस्तावित स्थान में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर की अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिये विकासकर्ता स्वतंत्र होगा तथा इसी विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किए जाने वाले फ्लैट प्रस्तावित डिजाईन/स्पेसिफिकेशन/साईज आदि में परिवर्तन किए जाने का विकासकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
29. पंजीकरण/आवंटन विकासकर्ता द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता इन नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगा और यह पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों के लिये पूर्णतः लागू होंगे।
30. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी स्टेज पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
31. पंजीकरण की राशि बैंक डी.डी./बैंकर्स चेक के द्वारा जमा की जायेगी। बैंक डी.डी./बैंकर्स चेक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंक डी.डी./बैंकर्स चेक प्राप्त किया गया है, चालान/बैंक स्लिप में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक डी.डी./बैंकर्स चेक विकासकर्ता के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र सलंगन चालान, बैंक डी.डी. तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा विकासकर्ता के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

32. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से देवें। पते में परिवर्तन की विधिवत सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदन की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिये विकासकर्ता उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर विकासकर्ता के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहे तथा समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेवे।
33. वित्तीय सुविधायें : इस योजना के आवंटित वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत विकासकर्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र जारी किये जायेंगे।
34. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं की पहचान एवं निवास के पते का प्रमाण तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) तीन-तीन स्वयं हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति सलंगन करना होगा।
35. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाये तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
36. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उस पर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ता को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरते तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
37. विकासकर्ता द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना संभव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कुटुरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही बिना कोई कारण बताये नोटिस जारी किए निरस्त कर दी जायेगी तथा विकासकर्ता प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
38. विकासकर्ता द्वारा समय-समय पर मांगे गये शपथ पत्र / वचनबद्धता / अन्य आवेदन / अन्य प्रपत्र इत्यादि स्वयं हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो लगावे या चिपकावे उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
39. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
40. पंजीकरण राशि डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी, किसी भी प्रकार कोई नकद लेन देन नहीं होगा।

41. आवेदन पत्र के साथ सलंगन किए जाने वाले प्रपत्र :-
- (1) आय प्रमाण पत्र, एस.डी.ओ. / तहसीलदार / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका के समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित देना होगा ।
 - (2) आवेदक के स्वयं का, पति/पत्नी का उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर में आवास या भूखण्ड नही होने बाबत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा ।
 - (3) आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनाफाईड प्रमाण पत्र ।
 - (4) पहचान पत्र की सत्यापित प्रति
 - (5) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
 - (6) देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
 - (7) 3 वर्ष के आयकर रिटर्न
 - (8) विगत 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट
 - (9) सोसायटी की देय राशि के लिये शपथ पत्र
 - (10) द्विव्यांग प्रमाण-पत्र
 - (11) वरिष्ठ नागरिक प्रमाण-पत्र
 - (12) अन्य प्रमाण पत्र /शपथ पत्र जो भी हो
42. जन आवास योजना के प्रावधानों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे ।
43. लाटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।
44. फ्लैट आवंटि को दी जाने वाली सब्सिडी आवंटि की प्रोफाईल एवं योग्यता पर निर्भर करती है जो सीधे ही भारत सरकार से अधिकृत संस्था द्वारा आवंटि के खातों में जमा की जायेगी । इसमें विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
45. इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/कमिटमेंट लागू नहीं होगा ।
46. उक्त योजना में किसी दैविक घटना/प्राकृतिक आपदाओं/न्यायालय के स्थगन आदेश/निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी ।
47. भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पालिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पडने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
48. आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/मुख्तयारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों की पालना हेतु बाध्य होंगे ।
49. आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजना एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी । लाटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी ।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. विकासकर्ता किसी भी व्यक्ति को नकद लेने के लिये अधिकृत नहीं करती है। कृपया नकद लेने-देने नहीं करें।
2. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
3. योजना के तहत किसी भी प्रकार के विवादों के निर्णय / फैसले केवल उदयपुर शहर की न्यायिक सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
4. विकासकर्ता निर्धारित विक्रय मूल्य एवं देय कर के अलावा कोई भी राशि लेने के लिए किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को अधिकृत नहीं करती है। निर्धारित मूल्य के अलावा कोई भी प्रीमियम राशि किसी को न दें।
5. लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
6. यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत है। अतः राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधान लागू होंगे।
7. फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने की अवधि से 1 वर्ष के भीतर में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विकासकर्ता/फर्म को ऐसे आवंटन निरस्त कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. आवेदक आवंटित फ्लैट को आवंटन तिथि के दस वर्ष तक किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकता है।
9. जी.एस.टी. 8 प्रतिशत - सरकार द्वारा निर्धारित दर
स्टाम्प ड्यूटी - एग्रीमेंट एवं विक्रय पत्र के पंजीयन के समय - सरकार द्वारा निर्धारित दर।
10. किसी प्रकार का नगद लेने-देने स्वीकार नहीं होगा।
11. सब्सिडी बैंक लोन के ब्याज पर ग्राहक की योग्यता के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एजेन्सी से सीधे प्रार्थी के लोन खाते में जमा होगी, जिसमें विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
12. परिसर में पार्किंग केवल दुपहिया वाहनों के लिये ही है।
13. प्रोजेक्ट निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सोसायटी का गठन किया जायेगा। जिसके पश्चात् निर्मित भवनों के समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी सोसायटी की रहेगी। सोसायटी के गठन हेतु EWS के लिये 10,000 एवं LIG के लिये 15,000 राशि बतौर एकबारिय (One Time) सोसायटी शुल्क विक्रय पत्र के पंजीयन से पूर्व सोसायटी कोष में जमा करानी होगी। जिसका उपयोग मासिक रख-रखाव के व्यय हेतु सोसायटी द्वारा किया जा सकेगा।
14. प्रथम चरण की योजना के पूर्ण होने का अनुमानित समय अक्टूबर 2021 तक रहेगा।
15. आवासीय इकाई /फ्लैट के एग्रीमेंट टु सेल के निष्पादन पश्चात् आवेदक फ्लैट आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन करता है तो उसकी आवेदन राशि, आवंटन राशि एवं जमा समस्त टैक्स की कटौती पश्चात् शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
16. फ्लैट के आवंटन पश्चात् आवेदनकर्ता को फ्लैट का एग्रीमेंट टु सेल का पंजीयन आवंटन की तिथि के 30 दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा।
17. सब्सिडी हेतु पुरुष आवेदनकर्ता के साथ महिला सदस्य होना अनिवार्य रहेगा।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

लोन एवं सब्सिडी (EWS/LIG)

1. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण जिसकी अवधि 15 वर्ष या कम हो उनके लिए 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज में सब्सिडी प्राप्त होगी। ब्याज सब्सिडी का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ऋण संस्था के माध्यम से अग्रिम रूप से लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करा दी जायेगी। इस स्कीम में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर होने वाले परिवर्तन पर कम्पनी का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण के अधिकतम रूपये 6,00,000/-पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रूपये 6,00,000/-से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी।
3. ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रयोजित है जिसके लिये विकासकर्ता का कोई दायित्व नहीं है।
4. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक/अधिकृत संस्था के द्वारा प्रेषित करने पर जमा हो जायेगी।
5. ऋण बैंक की शर्तों अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत तक मिल सकता है जो कि बैंकिंग नियमों व आवेदक की पात्रता पर निर्भर करेगा।
6. ऋण के लिये बैंक की शर्तें लागू होगी तथा ऋण स्वीकृत नहीं होने की दशा में अर्थात् आवेदक के अपात्र घोषित होने कि स्थिति में आवेदन को पंजीकरण राशि में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए बकाया राशि 30 दिन के भीतर भीतर बैंक द्वारा लौटा दी जावेगी।
7. अन्य ब्याज सब्सिडी 6 लाख से अधिक व 9 लाख तक के लोन पर 4 प्रतिशत एवं 9 लाख से 12 लाख तक के लोन पर 3 प्रतिशत तक केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान देय होगा। ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रयोजित है जिसके लिये विकासकर्ता का कोई दायित्व नहीं है।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि कोई हो)

प्रारूप - 1

(शपथ पत्र 50/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये)

शपथ-पत्र

मैंपुत्र/पत्नी श्रीजाति
हाल निवासीतहसील.....
.....जिला.....में निवास करता/करती हूँ:-

1. राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015' के अन्तर्गत गणपति ग्रीन्स, उदयपुर परियोजना को भलीभांति जानकार, पढकर मेरे द्वारा आवेदन पत्रआय वर्ग आवास बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ कि:-
2. पारदर्शिता आधार पर विकासकर्ताद्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी टावर के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों की पालना की जायेगी।
4. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि निर्धारित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
5. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे/हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण/मुल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि मैंने पंजीकरण, 2018/19 मेंआय वर्ग में आवास हेतु आवेदन-पत्र संख्याके द्वारा आवेदन किया है।
7. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लेट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लेट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
8. यह कि उक्त आवेदन-पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात विकासकर्ता द्वारा समय-समय पर आवंटित आवास ईकाई से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो विकासकर्ता को बिना सूचना दिये पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. यह कि मेरे स्वयं की गलती के कारण फर्म द्वारा उक्त पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।
10. यह कि किसी भी कारणवश आवंटन निरस्त/रद्द किया या कराया जाता है तो फर्म को पंजीकरण राशि में से नियमानुसार राशि काटने का अधिकार होगा। जिसके लिए मैं हमेशा बाध्य रहूंगा।
11. यह कि फर्म को शर्तें, प्लान, परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का अधिकार होगा।
12. यह कि आवास के पंजीयन के समय स्टाम्प शुल्क का नियमानुसार शुल्क वहन करने को तैयार हूँ।

नोटरीआईज्ड सत्यापन
(आवेदन के हस्ताक्षर)

प्रारूप - 2

(शपथ पत्र 50/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।)

सभी आवेदको के लिये

शपथ-पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी
.....सशपथ प्रमाण करता/करती हूँ कि :-

1. मैं भारत का /की नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास राजस्थान के किसी शहर में/एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लेट /भुखण्ड नहीं है।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं द्वारा समय -समय पर मांग की गई राशियाँ जमा नहीं करता हूँ तो फर्म बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात विकासकर्ता फर्म के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए विकासकर्ता स्वतंत्र होगा।
5. यह कि मेरे द्वारा स्थित विकासकर्ता कीयोजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूँगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूँगा।
6. यह कि निर्माणोपरान्त उक्त योजना हेतु निगमित सोसायटी जो भी हो का सदस्य बनने हेतु बाध्य रहूँगा बतौर सदस्य सोसायटी के कार्य कलापों के शामिल रहूँगा एवं सोसायटी नियमों की पूर्ण पालना करूँगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी.....करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं, मेने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

(नोटरीईड सत्यापन)

शपथग्रहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रारूप - 3

(शपथ पत्र 50/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण -पत्र हेतु शपथ पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीआयुवर्ष,
जातिनिवासी.....
सशपथ प्रमाण करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2017-18 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी :-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्रोतों से वार्षिक आय
रूपये थी ।
 - ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आयरूपये थी ।
 - स. वित्तीय वर्ष 2017-2018 में परिवार की कुल आमदनीरूपये थी ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी
सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है । ईश्वर मेरी सहायता करे ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

एस.डी.ओ/तहसीलदार सत्यापित/नोटेराईज्ड

वेतन भोगी आवेदकों के लिये आय प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/
संस्था का नाम) में.....(पद का नाम) पद पर कार्यरत है एवं ये (केन्द्र सरकार/राजस्थान
सरकार/ राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है । इनकी सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष
2017-18 मेंरूपये है ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था का नाम

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी/ गाँव/ शहर तहसील
जिला..... है ।

उपरोक्त.....शारीरिक रूप से दिव्यांग है । जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत है ।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर

गणपति ग्रीन्स

नारायण सेवा संस्थान के पास
राजस्व ग्राम हाथीधरा, लियो का गुड़ा
त. बड़गाव, उदयपुर (राज.) 313001

आवेदक
का
फोटो

संयुक्त आवेदक का फोटो
पति/पत्नी
माता-पुत्र
माता-पुत्री

आवेदन पत्र

- आवेदक/आवेदिका का नाम
पिता/पति का नाम
स्थायी पता
पत्र व्यवहार का पता
आधारकार्ड नं. पैन कार्ड नं.
व्यवसाय का स्वरूप
राष्ट्रीयता मोबाईल नं. दूरभाष नं.
- संयुक्त आवेदक/आवेदिका का नाम
स्थायी पता
पत्र व्यवहार का पता
आधारकार्ड नं. पैन कार्ड नं.
व्यवसाय का स्वरूप
राष्ट्रीयता मोबाईल नं. दूरभाष नं.
- भामाशाह कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स
- आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तीय वर्ष) 2017-18
1. स्वयं की 2. पति/पत्नी की
3. आश्रित की 4. अन्य स्रोतों की
कुल वार्षिक आय
- पंजीकरण हेतु फ्लैट की श्रेणी (✓) अंकित करें। **EWS** **LIG**
- राशि जमा कराई गई बैंक का नाम शाखा
राशि ड्राफ्ट संख्या दिनांक
(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु यह सूचना आवश्यक है)
- आवेदक का बचत खाता संख्या बैंक का नाम
बैंक शाखा बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोर्ड नम्बर
शहर का नाम
- सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा) –
(क) मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
(ख) मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
(ग) मेरा या मेरे आश्रित का राजस्थान के किसी भी ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक (जनगणना वर्ष 2011) है, मे आज दिनांक तक फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट, आवास या फ्लैट नहीं है।
(घ) मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के नाम क्रम में निर्देशित करता/करती हूँ:
क्र.सं. नाम आयु मेरे से सम्बन्ध
प्रथम
द्वितीय

9. आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें:
- (क) पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (ख) आय प्रमाण-पत्र
- (ग) आवेदक का पहचान सम्बन्धी (राशन कार्ड ड्राइविंग लाईसेंस पेनकार्ड (कोई एक)
भामाशाह कार्ड आधार कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र (घ) मूल निवास
- (च) अन्य प्रमाण पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।
शपथ पत्र क्र.-1 शपथ पत्र क्र. 2 शपथ पत्र क्र. 3/4
- (छ) आवेदक द्वारा अपनी वर्तमान बचत बैंक खाता के निरस्त बैंक की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

दिनांक

सत्यापित

(नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक

नाम:

पूर्ण पता

फर्म द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या

दिनांक

संलग्न दस्तावेज की सूची:

- (क) पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट
- (ख) आय प्रमाण पत्र
- (ग) आवेदक का पहचान सम्बन्धी (राशन कार्ड ड्राइविंग लाईसेंस पेनकार्ड (कोई एक)
भामाशाह कार्ड आधार कार्ड (अनिवार्य) अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र
- (घ) मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (च) अन्य प्रमाण पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।
शपथ पत्र क्र.-1 शपथ पत्र क्र. 2 शपथ पत्र क्र. 3/4

हस्ताक्षर

आवेदन कर्ता

नोट: अन्तिम तिथि.....जमा कराने की।

हस्ताक्षर

आवेदन निरीक्षक

www.ganpatihousing.com



GANPATI GREENS

A Project By

Shree Ganpati Affordable Homes LLP

203, 2nd Floor, Doctor's House Complex, Post & Telegraph Street, Panchwati, Udaipur (Raj.)

Office Address:

242, Road No.17, Ashok Nagar, Near Vigyan Samiti, Udaipur (Raj.) - 313001

Email: info@ganpatihousing.com

Booking Inquiry: +91 93588 19203, 93588 19204